

फा. न. 609/65/2018-डीबीके  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसंबर, 2018

सेवा में  
प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान महानिदेशक  
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,  
प्रधान आयुक्त / आयुक्त,  
सभी सीबीआईसी के तहत

विषय: प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) का पुनरीक्षण ।

महोदया/महोदय,

केंद्र सरकार ने 6.12.2018 के अधिसूचना सं. 95/2018-सीमा शुल्क (गै. टै.) के माध्यम से प्रतिअदायगी के संशोधित अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) को अधिसूचित किया है जो 19.12.2018 से लागू होगी । अधिसूचना बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है और सावधानीपूर्वक विवरण के लिए उपयोग की जा सकती है। संशोधित एआईआर की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

(i) जैसे कि 1.10.2017 के बाद से किया जा रहा है, प्रतिअदायगी के संशोधित एआईआर निर्यात माल के निर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर सीमा शुल्क के कराघात को और निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कराघात को निष्क्रिय करते हैं। तदनुसार उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में प्रत्येक टैरिफ आइटम को कॉलम (5) के तहत अधिकतम सीमा के साथ कॉलम (4) के तहत निर्दिष्ट एक एआईआर दर प्रदान किया गया है। इन एआईआर दरों का दावा करने के लिए, टैरिफ आइटम को प्रत्यय 'बी' के साथ प्रत्ययित किया जाना चाहिए। जैसे कि टैरिफ आइटम (टीआई) 640609, के तहत कवर किए गए सामानों के निर्यात के लिए प्रतिअदायगी क्रम संख्या '640609 बी' के रूप में घोषित किया जाना चाहिए;

(ii) अधिसूचना सं. 45/2016 (सीमा शुल्क) दिनांकित 13.08.2016 के संदर्भ में निर्यात दायित्वों के निर्वहन में विशेष अग्रिम प्राधिकरण (विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.04 ए) के विरुद्ध किए गए कपड़ों के निर्यात पर वैकल्पिक एआईआर को भी निर्दिष्ट करती है। इन वैकल्पिक एआईआर का दावा करने के लिए, सामान्य टैरिफ आइटम को सामान्य प्रत्यय 'बी' के बजाय प्रत्यय 'डी' के साथ प्रत्ययित किया जाना चाहिए।

(iii) जीवित मछली (टीआई 0301) सहित समुद्री उत्पादों और सीफूड (अध्याय 3, 15, 16, 23), रसायन (अध्याय 29), सिंथेटिक परफ्यूमरी यौगिकों (टीआई 330201) के सहित सुगन्धित तेल (अध्याय 33), साइकिल / चक्र-रिक्शा टायर और साइकिलें ट्यूब (अध्याय 40), चमड़े, चमड़े की लाइनिंग, चमड़े की वस्तुएं और फूटवेयर (अध्याय 41, 42 और 64), कपास, ओटी हुई कपास (अध्याय 52), कपड़ा (अध्याय 50 से 60 तक), रेशमी कपड़े और रेडीमेड वस्त्र (अध्याय 50 और 61-62), ऊनी कपड़े और रेडीमेड वस्त्र (अध्याय 51 और 61-62), कालीन (अध्याय 57), बने बनाये सामान (अध्याय 63), कांच और ग्लास वेयर (अध्याय 70) मल्टी स्पीड साइकिल और माउंटेन टेरेन बाइक (टीआईएस 871202 और 871203) और स्पोर्ट्स सामग्री (अध्याय 95) के सामानों के लिए विभिन्न कारकों जैसे कि कर संरचना में बदलाव, आयातित इनपुट की कीमतों (सीआईएफ) और निर्यात वस्तुओं का एफओबी, इनपुट की आयात तीव्रता में परिवर्तन, आदि में बदलाव के कारण प्रतिअदायगी का एआईआर दर बढ़ गए हैं।

(iv) कुछ रेडीमेड कपड़ों (अध्याय 61 और 62), पत्थर के सामान (अध्याय 68), लोहा और इस्पात क्षेत्र में (अध्याय 72, 73, 84 और विभिन्न अध्यायों की सामग्री), और एकल गति की साइकिल एक्सेसरी के साथ और बिना (टीआई 871201) आदि की दरों का तर्कसंगतकरण विभिन्न कारणों से किया गया है जैसे कि डीजल पर शुल्क दर में कमी, आयातित इनपुट की कीमतों (सीआईएफ) में परिवर्तन और निर्यात वस्तुओं के एफओबी और इनपुट की आयात तीव्रता में परिवर्तन आदि;

(v) विभिन्न क्षेत्रों में 24 नई टैरिफ आइटम जैसे रसायन (17 आइटम), कपड़ा और बने बनाए सामान (3 आइटम) और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स (4 आइटम), सामान्य रेल इंजेक्टर (अध्याय 84) और सेलुलर मोबाइल फोन (अध्याय 85) को भी अनुसूची में शामिल किया गया है,

(vi) प्रतिअदायगी की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए जहां भी आवश्यक महसूस किया गया उचित अधिकतम सीमा प्रदान की गई है,

2. आयुक्तों से आशा है कि वह किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण सावधानी सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न मापदंडों के आधार पर जिन शिपिंग बिलों को संवेदनशील माना जाता है, निर्यात के समय उन शिपिंग बिलों को पर्याप्त देखभाल के साथ संभाला जाना चाहिए। शिपिंग बिलों के मद ब्यौरे और प्रतिअदायगी के ब्यौरे में की जाने वाली घोषणाओं में मेल न होने के कारण अत्यधिक प्रतिअदायगी को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखने की जरूरत है।

3. व्यापार सुविधा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा गठित ड्राबैक कमेटी को संशोधित दरों के अधिसूचित होने के बाद प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पूरक रिपोर्ट देने के लिए भी अधिकृत किया गया है। तदनुसार, निर्यातक प्रदान की गई दरों की तुलना में उच्च दरों के लिए समर्थन डेटा और दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन, यदि कोई हो कर सकते हैं। इस हेतु अभ्यावेदन 31.12.2018 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

4. व्यापारियों और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सार्वजनिक सूचना और स्थायी आदेश जारी किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति, त्रुटि या कठिनाई, जो सामने आ रही हो, के बारे में बोर्ड को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए। आयुक्तों को भी चाहिए कि वे जहां प्रतिअदायगी पर कैप लगाने की जरूरत है वहां वे यथोचित जानकारी और आंकड़ों को उपलब्ध कराएं।

आपका आभारी,

(दिपिन सिंगला)  
विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिअदायगी)  
दूरभाष: 2334 1480